

26/03/2019

पत्रावली पैरा 1 की वही करीबन उपस्थित।
 विधान मन्त्रिमंडली को सुना गया। उभयपक्ष
 के वकीलों द्वारा की गई बहस एवं अपीलार्थी
 निर्णय के मबलौगन के पश्चात निष्कर्ष है कि
 बाद में हक-विस्तार तथा विभाजन को लेकर
 उभयपक्ष संतुष्ट नहीं हैं। उभयपक्ष ने अपीलार्थी
 निर्णयों को निरस्त कर पत्रावली रिमाण्ड
 करने की भंशा जाहिर की है। कि व
 भधीनस्थ न्यायालय में समुचित सुनवाई एवं
 साथ उपस्थित पश्चात विहित विधिवत
 प्राथमिक डिफेंडी जारी है, एवं उसकी क्रमवद्धता
 में मौके से नियमानुसार उभयपक्ष की उपस्थिति
 में बाद संतुष्टि विभाजन उस्ताव तैयार
 कर पेश हो। तदनुसार ही भंतिम डिफेंडी
 निर्णय पारित हो। सिद्धान्त उभयपक्ष की भंशा एवं
 उभयपक्षों के मध्य भाषणी समझौते से बाद
 के सुपेटारे की संभावना को देखते प्रकरण
 रिमाण्ड करते हुए अपीलार्थी निर्णय निरस्त
 किया जाकर अपील स्वीकार की जाती है।
 भधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त भंशावशेषानु
 के मालीक एवं मनुष्यालय में निर्दिष्ट
 कामवाही पूर्व वक्त नये सिरे से निर्णय
 पारित करे। पत्रावली के साथ शुभाह नम्बर
 से कम होकर बाद तकनीक दायित्व दफ्तर
 हो। माफेय लर इज्जाम सुनाया गया।

(Handwritten signature)
 (Handwritten text)

डा. राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर

डा. राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर